रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v.रिया मुंजाल

565

और अन्य (अरुण कुमार त्यागी, जे.)

अवनीश झिंगन के सामने , जे.

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।—

अपीलार्थी

बनाम

रिया मुंजाल और अन्य-उत्तरदाता

FAO No 2433 of 2016

08 मार्च, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166-आयकर अधिनियम, 1961-धारा 40 ए (3)-मोटर दुर्घटना-एम. बी. ए. दावेदार की आय 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता-बिस्तर पर पड़े, शाकाहारी राज्य-नियोक्ता या होटल मालिक ने वेतन प्रमाण पत्र और उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत किया, न कि खाता बही-रु। 20, 000 वेतन नकद में भुगतान-कोई भी बुद्धिमान व्यवसायी नकद में भुगतान नहीं करेगा-आयकर अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं-आय साबित नहीं हुई-सबसे सुरक्षित पैमाना-न्यूनतम मजदूरी-40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाएं।

माना कि पक्षों ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि दावेदार एमबीए था। मृतक की मासिक कमाई को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है क्योंकि पीडब्लू 4 की गवाही वेतन के भुगतान के संबंध में विश्वास का आह्वान नहीं करती है।प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार दावा किए गए 20,000 रुपये के वेतन को दोषमुक्त कर दिया गया है।नई दिल्ली में होटल के मालिक ने एक वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और उपस्थिति रजिस्टर लाया लेकिन यह ध्यान रखना अजीब था कि या तो वह लेखा पुस्तिकाएं नहीं रख रहे थे या दस्तावेज जानबूझकर पेश नहीं किए गए थे।यह भी दावा किया गया कि उक्त वेतन नकद में दिया जा रहा था।

(पैरा 30) ने आगे कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (3) नीचे उद्धृत की गई हैः

(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को बैंक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट पर तैयार किए गए खाता प्राप्तकर्ता चेक के अलावा किसी दिन में भुगतान या कुल भुगतान किया जाता है, (बीस हजार रुपये से अधिक) ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(पैरा 31) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि इस धारा से यह सामने आता है कि होटल के मालिक को दावेदार को उसके व्यावसायिक व्यय के रूप में वेतन के रूप में किए गए भुगतान की कटौती नहीं मिलेगी।

आय-कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी खर्च, जिसके संबंध में भुगतान 20,000 रुपये से अधिक राशि में किया जाता है, बैंक में खींचे गए खाता प्राप्तकर्ता चेक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट के अलावा, कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी विवेकपूर्ण व्यवसायी अपने कर्मचारी को नकद में भुगतान नहीं करेगा जिसके लिए उसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती नहीं मिलेगी।

(पैरा 32) ने आगे कहा कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए दावेदार की मासिक आय का आकलन करने के लिए गवाह के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मासिक आय के संबंध में किसी भी प्रमाण के अभाव में, दुर्घटना के समय राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी पर विचार करना सबसे सुरक्षित मानदंडों में से एक है। दावेदार के एम. बी. ए. होने पर उसे अकुशल मजदूर नहीं माना जा सकता है। वे 23 वर्ष के थे और उनकी योग्यता के कारण उनका भविष्य उज्ज्वल था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मासिक आय 7,000 रुपये आंकी गई है क्योंकि 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता है, जिसने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया है, प्रणय सेठी के मामले (ऊपर) और हेम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए उनकी भविष्य की संभावनाएं इसकी भरपाई करने के लिए बुरी तरह प्रभावित हैं।

प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं को सम्मानित किया जाता है।

(पैरा 33)

मोटर वाहन अधिनियम**, 1988-**धारा **166-**दर्द और पीड़ा**,** भविष्य की सुविधाओं का नुकसान**,** चिकित्सा खर्च**,** जीवन का छोटा होना**,** विवाह की संभावनाओं का नुकसान**-**दावेदार और पूरे परिवार का दर्द और पीड़ा**-**निरंतर खर्च**-**जीवन के छोटे होने और विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए दी गई राशि।

इसके अलावा यह भी माना गया कि दर्द और पीड़ा और जीवन की भविष्य की सुविधाओं और चिकित्सा खर्चों के नुकसान के लिए रुपये 3,00,000 दिए गए थे। ऊपर बताए गए तथ्यों के अनुसार, दर्द और पीड़ा केवल दावेदार को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है। उनके जीवन भर दवाओं के लिए निरंतर खर्च होते रहेंगे। उक्त राशि को बढ़ाकर 4,50,000 कर दिया गया है।

(पैरा 37) ने आगे कहा कि चिकित्सा उपकरणों पर खर्च किए गए खर्च को विधिवत साबित किया गया है और इसे बनाए रखा गया है क्योंकि यह चोटों और विकलांगता के प्रकार के साथ 1,29,000 रुपये है।

(पैरा 38)

आगे यह माना गया कि जीवन में कमी आएगी और विवाह की संभावनाओं का नुकसान होगा। दोनों शीर्षों की क्षतिपूर्ति के लिए इन

दोनों शीर्षों के लिए रुपये 3,00,000 दिए जाते हैं।

(पैरा39)

संजीव कोडन, अधिवक्ता

2016 के एफ. ए. ओ. No.2433 में अपीलार्थी-रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए।

कनिश जिंदल, अधिवक्ता और

नितेश सिंगला, अधिवक्ता

ऋषभ जैन के लिए, अधिवक्ता

2016 के एफ. ए. ओ. सं. 2419 में एफ. ए. ओ. सं. 4621,6069,4831 उत्तरदाता सं. 1 में अपीलार्थी के लिए

अरिहंत जैन, अधिवक्ता

2016 के एफ. ए. ओ. सं. 2433 में प्रतिवादीगण के लिए और

2016 के एफ. ए. ओ. संख्या 6069 में अपीलार्थियों के लिए

नवीन सिंह पंवार, अधिवक्ता

ताहिर हुसैन खान-चालक और कमल खान-मालिक पॉल S.Saini के लिए, अधिवक्ता

2016 के एफ. ए. ओ. No.2419,4621,6069 में प्रतिवादी No.5-National बीमा कंपनी के लिए और

2016 के एफ. ए. ओ. सं. 2433 में प्रतिवादी सं. 8 के लिए।

अवनीश झिंगन, जे. ओरल

(1) ये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सोनीपत (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 30.1.2016 के फैसले के खिलाफ दायर चार अपीलें हैं। अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न होती हैं, इनका निपटान एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

(2) रिकॉर्ड से सामने आने वाले तथ्य यह हैं कि 1.10.2012 पर हितेश मुंजाल नितिन कुमार और नवीन कुमार के साथ नवीन कुमार द्वारा चलाई गई कार में सोनीपत से दिल्ली जा रहे थे। कार के पीछे विजय कुमार और विरेंद्र मेहता पंजीकरण वाली एक अलग कार No.HR-10-M-6102 में जा रहे थे। जब कार रीचर बाकोली बस स्टैंड के पास था, तो एक टेंपो पंजीकरण No.HR-63-A-5492 (संक्षिप्त में 'आपत्तिजनक वाहन' के लिए) कार के आगे जा रहा था और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक ने बिना कोई संकेत दिए वाहन को डिवाइडर के पास सड़क के चरम दाईं ओर रोक दिया।कार के चालक ने ब्रेक लगाया लेकिन उल्लंघन करने वाले वाहन से टकरा गया। परिणामस्वरूप

टक्कर लगने से कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल नरेला ले जाया गया, जहाँ से उन्हें S.R.H.C अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हितेश मुंजाल को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य दो को मैक्स सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ नवीन कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। घायल नितिन कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एफ. आई. आर. सं. 342 दिनांक 1.10.2012 पी. एस. अलीपुर, दिल्ली में दर्ज की गई थी।

2016 की एफ**.** ए**.** ओ**.** संख्या **2433** और **6069**

(3) 2016 का एफ. ए. ओ. सं. 2433 उल्लंघनकारी वाहन के बीमाकर्ता द्वारा दायर किया गया है और 2016 का एफ. ए. ओ. सं. 6069 हितेश मुंजाल के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। दोनों अपीलें 2014 के एम. ए. सी. टी. मामला संख्या 1866 से उत्पन्न हो रही हैं।

(4) यह दावा याचिका हितेश मुंजाल के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। चालक, मालिक और बीमाकर्ता (यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उल्लङ्घन करने वाले वाहन के लिमिटेड) और मारुति वैगन-आर कार बेरिंग पंजीकरण के मालिक (संक्षेप में 'कार') और कार के बीमाकर्ता (यानी राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड) को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादीगण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

(5) दावे की कार्यवाही में यह साबित हुआ कि हितेश मुंजाल की उम्र 30 वर्ष थी। निर्धारण वर्षों 2009-10,2010-11,2011-12 के लिए उनके आयकर विवरण प्रस्तुत किए गए थे। यह दलील दी गई थी कि वह यात्रा और यात्रा का व्यवसाय कर रहा था। न्यायाधिकरण ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर विवरणी पर भरोसा किया, जिसमें आय को 1,64,810 माना गया-स्व-व्यय के लिए 600/- 1⁄4 वीं कटौती के देय आयकर की कटौती के बाद और 17 का गुणक लागू किया गया था। 7. 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 25,26, 370/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी। सम्मानित राशि में संघ के नुकसान के लिए रुपये 1,00,000 और नाबालिग बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए रुपये 2,00,000 और संपत्ति के नुकसान के लिए रुपये 1,00,000 और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000 रुपये शामिल थे।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेज़ का अध्ययन किया।

(7) बीमाकर्ता के विद्वान वकील ने दो गुना निवेदन किया-पहला कि न्यायाधिकरण ने आय को रुपये के रूप में 1,64,810 मानने में गलती की-क्योंकि इसमें अन्य स्रोतों से आय शामिल थी जो हितेश मुंजाल की मृत्यु के बाद भी जारी रही। दूसरा, कि पारंपरिक शीर्षों के तहत दी जाने वाली राशि अधिक होती है और प्यार और स्नेह की हानि के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है।

(8) दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भविष्य की कोई संभावनाएं नहीं दी गई हैं।

(9) यह विवादित नहीं था कि निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए दाखिल किए गए विवरण में प्रकट की गई अन्य स्रोतों से आय हितेश मुंजाल की मृत्यु के बाद भी जारी रही।

(10) निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवसाय और पेशे के तहत आय 1,45,035-थी। अन्य स्रोतों से 26,800 रुपये की आय थी और देय आयकर 600 रुपये था। मुआवजे की गणना के लिए अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि वह आय हितेश मुंजाल की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। इस प्रकार, 500/- रुपये (देय कर) से कम की आय को मृतक की कमाई माना जाता है। मुआवजे की गणना रुपये 1,44,535-की वार्षिक आय पर की जाएगी।

(11) मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी और वह स्व-नियोजित था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उचित सम्मान करना

नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 1 40%

भविष्य की संभावनाओं को पुरस्कृत किया जाता है। (12) स्व-व्यय के लिए की गई 1/4 वीं कटौती और 17 के गुणक के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है।

(13) प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप, दावेदार संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये के हकदार हैं और संघ के नुकसान के लिए विधवा को 40,000/- रुपये दिए जाते हैं। प्यार और स्नेह की हानि के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है।

(14) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की पुनः गणना निम्नानुसार की गई हैः

क्रमसंख्या ।	विशिष्टताएँ	दी गई राशि
1	वार्षिक आय	रुपये 1,44,535 -

2	40% भविष्य की संभावनाएँ	57, 814/- रु.
3	स्वयं के खर्चों के लिए ¼ वीं कटौती	रुपये 25,79,954 -
4	17 का गुणक लागू करना (151762x17 = 25,79954)	रुपये 25,79,954 -
5	पारंपरिक प्रमुख	70, 000/- रु.

6	कुल	रुपये 26,49,954 -

(15) आई. डी. 1 दिनांकित पुरस्कार 30-01-2016 को ही दी गयी राशी इस हद तक संशोधित की गयी 25,26,370 से बढ़ाकर 26,49,954 कर दिया गया. (16) दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि की प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ी हुई राशि के हकदार होंगे।

(17) उपर्युक्त दोनों एफ. ए. ओ. का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

2016 का एफ**.** ए**.** ओ**. Nos.2419** और **4621**

(18) 2016 का एफ. ए. ओ. No.2419 बीमाकर्ता द्वारा दायर किया गया है और 2016 का एफ. ए. ओ. संख्या 4621 नितिन कुमार-दावेदार द्वारा दायर किया गया है।

(19) दोनों अपीलों में उठाई गई शिकायत दुर्घटना में दावेदार को हुई अक्षमता के लिए अधिनियम की धारा 166 के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा के संबंध में है। दुर्घटना के समय दावेदार की आयु 23 वर्ष थी। न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में, सिविल सर्जन, सोनीपत द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र Ex.PW14/A को यह साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था कि दावेदार को पूरे शरीर में 100% विकलांगता का सामना करना पड़ा है। डॉ. एस. पी. शर्मा, एस. एम. ओ. जनरल अस्पताल, सोनीपत ने पी. डब्ल्यू. 14 के रूप में गवाही दी और दावेदार द्वारा दी गई चोटों के अक्षमता प्रमाण पत्र और प्रकृति को साबित किया। अपीलार्थी का मस्तिष्क अक्षतन्तु, दाहिने कूल्हे का विस्थापन, दाएं हेमियोपरेसिस, पसलियों का फ्रैक्चर, फीमर का फ्रैक्चर, कई रक्तस्रावी संदूषण इन्चो, कशेरुका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, फीमर का पुनर्स्थापन, दाएं एक्टेबुलर कप में फ्रैक्चर, अपनी बोलने की शक्ति खो देता है/एक भी शब्द नहीं बोल सकता है, शरीर में कोई सनसनी नहीं है क्योंकि शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है और वानस्पतिक अवस्था में है।

(20) अंतिम बिल Ex.P46 प्रस्तुत किया गया और साबित किया गया। उसी की कीमत रुपये 10,49,438-थी।

अंतिम बिल के अलावा, विभिन्न फार्मेसियों Ex.P47 से Ex.P136 तक की अन्य रसीदें और बिल भी तैयार किए गए और साबित किए गए। यह भी माना जाता था कि कुछ डुप्लिकेट बिल भी थे।

(21) दावा याचिका में यह दलील दी गई थी कि दावेदार एम. बी. ए. था और एक होटल में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह 20,000/- रुपये कमाता था। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल पर्यटक बंगले के मालिक ने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी कि दावेदार को उसके द्वारा प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह उसे प्रति माह 20,000 रुपये का भुगतान कर रहा था।

वह सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड पर भरोसा करता है।

वेतन प्रमाण पत्र और उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत किया। उनके बयान को भरोसे के लायक नहीं पाया गया। भुगतान किए गए वेतन के संबंध में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने होटल से संबंधित कोई आयकर विवरणी या खाता बही नहीं लाई थी।न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए कि दावेदार एक सक्षम व्यक्ति था, उसकी मासिक आय का आकलन 6000/- रुपये किया, 18 का गुणक लागू किया और अवार्ड 12,96,000 /- रूपये भविष्य की आय के नुकसान के लिए और कुल 37,15,100/- रुपये का अधिनिर्णय दिया। कुल मिलाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रदान की गई। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है:

Sr.No।	विशिष्टताएँ	न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि
1	चिकित्सा उपचार/परिवहन खर्चों की ओर	रुपये 16,90,100 -
2	स्थायी अक्षमता के कारण आय/भविष्य की आय के नुकसान की ओर	रुपये 12,96,000 -
3	विशेष आहार और परिचर लागतों पर खर्च की दिशा में	रुपये 3,00,000 -
4	चिकित्सा खर्चों की भविष्य की सुविधाओं के दर्द और पीड़ा के नुकसान की ओर।	रुपये 3,00,000 -
5	चिकित्सा	रुपये 1,29,000

	उपकरणों पर खर्च।	-
	कुल	रुपये 37,15,100 -

(22) बीमाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अंतिम बिल Ex.P46 रुपये 10,05,999 के अनुसार-अस्पताल को देय था, न्यायाधिकरण ने चिकित्सा उपचार और परिवहन खर्चों के लिए 16,09,100 रुपये देने में गलती की। उनकी शिकायत है कि न्यायाधिकरण ने 6000/- रुपये प्रति माह की आय का आकलन करने में गलती की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विशेष आहार, परिचारक, दर्द और पीड़ा, जीवन की भविष्य की सुविधाओं के नुकसान और भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई राशि अधिक है।

(23) दावेदार के विद्वान वकील का तर्क है कि बिल Ex.P46 के अलावा, अन्य बिलों को Ex.P47 से Ex.P136 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो विभिन्न रसायनज्ञों से थे, वह चिकित्सा उपचार के लिए Rs.16,90,100/- की राशि का बचाव करता है। उनका तर्क है कि पूरे जीवन के लिए परिवहन, परिचारक, विशेष आहार की आवश्यकता होगी और इसलिए, दी गई राशि कम है। उनकी शिकायत है कि निर्धारित आय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(24) दावा याचिका में, यह दलील दी गई थी कि दावेदार एमबीए था और एक होटल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था, नियोक्ता ने बयान दिया कि वह प्रति माह 20,000 रुपये का भुगतान कर रहा था। दावेदार 100% अक्षम है और गर्दन के नीचे लकवाग्रस्त है। क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक प्रमुखों पर विचार नहीं किया गया है। अभिलेख को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि हालाँकि मृतक जीवित है लेकिन वह वनस्पति अवस्था में है। डॉक्टर द्वारा साबित की गई चोटों का विवरण स्वयं स्पष्ट है कि वह किस स्थिति में है।

(25) मृत्यु के मामलों में, अदालतों को परिवार के सदस्यों द्वारा सहन की गई निर्भरता के नुकसान की गणना करने के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत मुआवजे पर पहुंचना होगा। ऐसे मामलों में जहां 100% स्थायी विकलांगता है, यह न केवल निर्भरता का नुकसान है जिसका आकलन किया जाना है, बल्कि विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसानों पर भी विचार किया जाना है। विशेष रूप से यह तथ्य कि घायल होने के अलावा पूरा परिवार प्रभावित होता है।

(26) उच्चतम न्यायालय ने जी. रवींद्रनाथ @ आर. चौधरी बनाम ई. श्रीनिवास और अन्य 2 मामलों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"यह तय किया गया कानून है कि व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का निर्धारण निम्नलिखित शीर्षों के तहत किया जाना चाहिएः

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति)

(i) उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, परिवहन, पोषण भोजन और विविध खर्चों से संबंधित खर्च।

((ii) कमाई (और अन्य लाभ) का नुकसान, जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैं:(क) उपचार की अवधि के दौरान कमाई का नुकसान;

(ख) स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की आय का नुकसान।

अक्षमता।

((iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान।

और अन्य (अरुण कुमार त्यागी, जे.)

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)।

(vi) जीवन की अपेक्षा का नुकसान (सामान्य दीर्घायु को कम करना)।

12. नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा केवल शीर्ष (i), (ii) (a) और (iv) के तहत दिया जाएगा। यह केवल चोट के गंभीर मामलों में है, जहां दावेदार के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य हैं, कि स्थायी विकलांगता, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, सुविधाओं की हानि (और/या विवाह की संभावनाओं की हानि) और जीवन की उम्मीद की हानि के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान से संबंधित किसी भी शीर्ष (ii) (b), (iii), (v) और (vi) के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

(27) उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि व्यक्तिगत चोट के मामले में विभिन्न शीर्षों के तहत आर्थिक नुकसान (विशेष नुकसान) दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि गैर-आर्थिक नुकसान की भरपाई भी की जानी चाहिए।

(28) इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अनंत के पुत्र सिद्धेश्वर के मामले में

डुकरे बनाम झम्नप्पा लमजाने का बेटा प्रताप और अन्य 3 गिरफ्तार

निम्नानुसार:"5.चोटों और अक्षमताओं के कारण होने वाली मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में, यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को न केवल उसकी शारीरिक चोट के लिए, बल्कि चोट के कारण हुए गैर-आर्थिक नुकसान के लिए

भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। दावेदार पूर्ण जीवन जीने में अपनी असमर्थता के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, और उन चीजों और सुविधाओं का आनंद लेता है जिनका वह आनंद लेता, लेकिन चोटों के लिए।

6. मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य पीड़ित को दुर्घटना से पहले की स्थिति में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से बहाल करना है।

(29) यादव कुमार बनाम डिवीजनल मैनेजर, नेशनल दिस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4 के मामले में इस अदालत ने समझाया कि "सिर्फ

क्षतिपूर्ति "निम्नलिखित शब्दों में:"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुआवजे के निर्धारण के मामलों में न्यायाधिकरण और न्यायालय दोनों वैधानिक रूप से

'न्यायसंगत क्षतिपूर्ति' तय करने की जिम्मेदारी के साथ आरोपित। यह स्पष्ट रूप से सच है कि न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण को एक वरदान के बराबर नहीं माना जा सकता है। साथ ही 'न्यायसंगत मुआवजे' की अवधारणा स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरणों और न्यायालयों की ओर से निष्पक्ष और न्यायसंगत सिद्धांतों और एक उचित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग का सुझाव देती है। न्यायाधिकरण और न्यायालय की ओर से यह तर्कसंगतता एक बड़े परिधीय क्षेत्र में होनी चाहिए।"

(30) पक्षों ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि दावेदार एम. बी. ए. था। मृतक की मासिक कमाई को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है क्योंकि पीडब्लू 4 की गवाही वेतन के भुगतान के संबंध में विश्वास का आह्वान नहीं करती है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार दावा किया गया 20,000/- रुपये का वेतन दोषमुक्त है। नई दिल्ली में होटल के मालिक ने एक वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और उपस्थिति रजिस्टर लाया लेकिन यह ध्यान रखना अजीब था कि या तो वह लेखा पुस्तिकाएं नहीं रख रहे थे या दस्तावेज जानबूझकर पेश नहीं किए गए थे।यह भी दावा किया गया कि उक्त वेतन नकद में दिया जा रहा था।

(31) आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (3) नीचे उद्धृत की गई है:"(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को एक दिन में भुगतान या कुल भुगतान किया जाता है, अन्यथा, बैंक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट पर खींचे गए खाता प्राप्तकर्ता चेक के अलावा, (बीस हजार रुपये से अधिक) ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(32) इस धारा से यह पता चलता है कि होटल के मालिक को अपने व्यावसायिक खर्च के रूप में वेतन के रूप में दावेदार को किए गए भुगतान की कटौती नहीं मिलेगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 ए (3) में प्रावधान है कि कोई भी खर्च जिसके संबंध में भुगतान 20,000 रुपये से अधिक की राशि में किया जाता है, अन्यथा बैंक में खींचे गए खाता प्राप्तकर्ता चेक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, उसे कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी विवेकपूर्ण व्यवसायी अपने कर्मचारी को नकद में भुगतान नहीं करेगा जिसके लिए उसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती नहीं मिलेगी।

(33) उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, दावेदार की मासिक आय का आकलन करने के लिए गवाह के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मासिक आय के संबंध में किसी भी प्रमाण के अभाव में, दुर्घटना के समय राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी पर विचार करना सबसे सुरक्षित मानदंडों में से एक है। दावेदार के एम. बी. ए. होने पर उसे अकुशल मजदूर नहीं माना जा सकता है वह 23 वर्ष का था ।

उसकी योग्यता के कारण उसका भविष्य उज्ज्वल था।उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रणय सेठी के मामले (उपरोक्त) और हेम में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर विचार करते हुए, उनकी मासिक आय 7,000 रुपये आंकी गई है, क्योंकि स्थायी विकलांगता है, जिसने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया है, उनकी भविष्य की संभावनाएं इसकी भरपाई करने के लिए बुरी तरह प्रभावित हैं।

राज बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5 40% भविष्य की संभावनाएँ

सम्मानित किया जाता है।(34) के निर्णय के अनुसार 18 का गुणक लागू किया जाता है

सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय।

(35) स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय के नुकसान की गणना निम्नानुसार की जाती हैः

क्रमसंख्या ।	विशिष्टताएँ	दी गई राशि
1	मासिक आय	700/- रु.
2	40%भविष्य की संभावनाएँ	2800/- रु.
3	18 का गुणक (9800x12x18)	रुपये 21,16,800 -

(36) बीमाकर्ता के लिए विद्वान वकील की चुनौती चिकित्सा उपचार और परिवहन खर्चों के लिए रुपये 16,90,100-की राशि के लिए अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। अस्पताल का Rs.10,05,999/- का अंतिम बिल है, उक्त बिल के अलावा, अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर से दवा आदि की खरीद के लिए प्रदर्शनी हैं, जिन्हें पेश किया गया और साबित किया गया। न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि 16,90,100 में परिवहन खर्च भी शामिल था। आई. डी. 100 % विकलांगता के कारण वह खुद नहीं चल पाएगा और उसे जांच के लिए ले जाने के लिए भी विशेष वाहन की आवश्यकता होगी।ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि 16,90,100-में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

(37) न्यायाधिकरण ने विशेष आहार और परिचर शुल्क के खर्च के लिए 3,00,000 रुपये का फैसला सुनाया। दावेदार

के बिस्तर पर होने के कारण वह सामान्य भोजन नहीं कर पाएगा और उसे अपने शेष जीवन के लिए विशेष आहार की आवश्यकता होगी। चौबीसों घंटे एक परिचारक की भी आवश्यकता होगी। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, रुपये 3,00,000-की राशि को बढ़ाकर रुपये 4,00,000-कर दिया गया है। रुपये 3,00,000-दर्द के लिए दिए गए थे

और जीवन की भविष्य की सुविधाओं और चिकित्सा खर्चों की पीड़ा और हानि। ऊपर बताए गए तथ्यों के अनुसार, दर्द और पीड़ा केवल दावेदार को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है।उनके जीवन भर दवाओं के लिए निरंतर खर्च होते रहेंगे।उक्त राशि को बढ़ाकर 4,50,000-कर दिया गया है।

(38) चिकित्सा उपकरणों पर खर्च किए गए खर्च को विधिवत साबित किया गया है और इसे बनाए रखा गया है क्योंकि यह रुपये 1,29,000 है-चोटों और विकलांगता के प्रकार के साथ।

(39) जीवन छोटा हो जाएगा और विवाह की संभावनाओं का नुकसान होगा। दोनों शीर्षों की क्षतिपूर्ति के लिए इन दोनों शीर्षों के लिए रुपये 3,00,000-दिए जाते हैं।

(40) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की पुन: गणना निम्नानुसार की गई है:-

क्रमसंख्या ।	विशिष्टताएँ	दी गई राशि
1	आय में कमी	रुपये 21,16,800 -
2	चिकित्सा खर्च और परिवहन शुल्क	रुपये 16,90,100 -
3	विशेष आहार और परिचर शुल्क	रुपये 4,00,000 -
4	दर्द और पीड़ा, जीवन की भविष्य की सुविधाओं का नुकसान और चिकित्सा खर्च।	रुपये 45,00,000 -
5	खर्च किए गए चिकित्सा उपकरण	रुपये 1,29,000 -
6	जीवन का संक्षिप्त होना और विवाह की संभावनाओं का नुकसान	रुपये 3,00,000 -

7	कुल	रुपये 50,85,900 -

(41)अवार्ड दिनांकित 30-00-2016 को इस हद तक संशोधित किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अवार्ड की राशि को बढ़ाकर. 37,15,100/- से 50,85,900/- रुपये कर दिया गया है।

(42) दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि की प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ी हुई राशि के हकदार होंगे।

(43) उपरोक्त दोनों एफ. ए. ओ. का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला रहेजा

अनुवादक